

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 71] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 1978/माघ 21, 1899
No. 71] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 1978/MAGHA 21, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1978

का. आ. 89(अ).—दिल्ली परिवहन (सलाहकार परिषद्) नियम, 1973 के नियम 3 के साथ पठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 17 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा (3) के अधीन गठित दिल्ली परिवहन के विचार जानने के बाद एतद्द्वारा श्री रामभज, सप्तस्य महानगर परिषद् दिल्ली, बी-4/132, सफदरजंग इन्कलेव, नई दिल्ली के निवासी और श्री धर्माप्रसाद आहुजा, जो एन/20, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली के निवासी हैं, को उक्त नियमों के नियम 11 में निर्दिष्ट मामलों पर उक्त निगम को सलाह देने

के प्रयाजन के लिए गठित दिल्ली परिवहन निगम सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में उक्त नियमों के नियम 6, 7, 8 और 22 में निर्दिष्ट शर्तों पर नियुक्त करती है और भारत सरकार के परिवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. 820(ई), दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 में निम्नीलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना, के पैराग्राफ 1 में मद्र 26 के बाद और तत्संबंधी प्रविष्टि के लिए निम्नीलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“(27) श्री राम भज, सदस्य, महानगर परिषद्, दिल्ली, बी-4/132, सफदरजंग इन्कलेव, नई दिल्ली-16।

(28) श्री दुर्गा प्रसाद आहुजा, एन-20, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली।”

[सं. टी. जी. डी.(168)/76]

बी. बी. महाजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 1978

S.O. 89(E).—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950) read with rule 3 of the Delhi Transport (Advisory Council) Rules, 1973, the Central Government, after ascertaining the views of the Delhi Transport Corporation, established under section 3 of the said Act, hereby appoints Shri Ram Bhaj, Member, Metropolitan Council, Delhi, resident of B-4/132, Safdarjung Enclave, New Delhi and Shri Durga Prasad Ahuja, resident of N-20, Rajouri Garden, New Delhi, as members of the Delhi Transport Corporation Advisory Council constituted for the purpose of advising the said Corporation on the matters specified in rule 11 of the said rules, on the terms specified in rules 6, 7, 8 and 22 of the said rules and makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O 870(E), dated the 31st December, 1977, namely :—

In the said notification, in paragraph 1, the following shall be inserted after item 26 and the entry relating thereto, namely :—

“(27) Shri Ram Bhaj, Member, Metropolitan Council, Delhi, B-4/132, Safdarjung Enclave, New Delhi-16.

(28) Shri Durga Prasad Ahuja, N-20, Rajouri Garden, New Delhi.”

[No. TGD(166)/76]

B. B. MAHAJAN, Jt. Secy.